न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 141/2025 बउनवानी तुलसा देवी **बनाम** अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर पत्नि हरिमोहन जांगिड निवासी ग्राम व पोस्ट मलारना डूंगर

GCMS No-2025/308

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
15.10.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 5.8.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **पत्रांक एफ.13(1)(87)सूकाअ/690 दिनांक 11.6.2025 के द्वारा चाही गयी शुल्क 2/–रू जरिये पोस्टल आर्डर संख्या 70 एफ 033066 जमा कराने के उपरान्त चाही गयी सूचना की प्रमाणित प्रति** " अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकःएफ.13(01)(87,118,119)/सूकाअ/2025/1174 दिनांक 1.10.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 5.8.2025 मे चाही गयी सूचना अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.13(01)(87,118,119)/ सूकाअ/2025/965 दिनांक 11.8.2025 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 5.8.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 965 दिनांक 11.8.2025 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner